

प्रपत्र - 46

परियोजना का नाम:- नगरासू पेयजल योजना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

  
उप वन संरक्षक  
प्रशासनिक वन अधिकारी

  
वन क्षेत्राधिकारी  
उत्तराखण्ड राज्य

  
ह. ओ. /  
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिरासी अभियन्ता  
निर्माण शुल्क  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

  
AE